HDFC BANK
We understand your world

विशेष परिचालन विभाग: पहली मंजिल,
प्रणय टावर्स, विधान सभा के निकट, 38 दरबारी लाल
शर्मा मार्ग, लखनऊ-226001

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 तथा इसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष परिचालन विभाग में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन दिनांक **21-अप्रैल-23** को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें **1. मैसर्स उत्थान इंडस्ट्रीज (मूल कर्जदार/गिरवीदाता) इसके स्वत्वाधिकारी श्रीमती सीमा जैन द्वारा प्रतिनिधित्व, पंजीकृत कार्यालय: इस्लाम बाग बागपत रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002, 2. श्रीमती सीमा जैन पत्नी श्री लोकेश कुमार जैन (स्वत्वाधिकारी/गिरवीदाता/गारंटीदाता) रामबाग, पुल के निकट, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002, और एक पता: मकान नं. एफ183, दूसरी मंजिल, दिल्ली रोड, सरस्वती लोक, राम लीला मैदान के निकट, मेरठ, उप्र-250002, 3. श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन (स्वत्वाधिकारी/गिरवीदाता/गारंटीदाता) नगरपालिका सं. 20/22-ए, खसरा नं. 1759 रामबाग, बागपत रोड, मलियाना पुल के निकट, मेरठ, उप्र-250001, और एक पता: मकान नं. एफ183, दूसरी मंजिल, दिल्ली रोड, सरस्वती लोक, राम लीला मैदान के निकट, मेरठ, उप्र-250002** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लेखित रकम **दिनांक 24.11.2022 एवं 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार रू. 1,04,87,414.27/- (रुपये एक करोड़ चार लाख सत्तासी हजार चार सौ चौदह एवं पैसे सत्ताईस मात्र)** की रकम के साथ **दिनांक 25.11.2022 एवं 01.02.2023** से उस पर आगे के ब्याज तथा शुल्क की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार, गारंटीदाता (ओं) तथा गिरवीदाता (ओं) द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार, गारंटीदाता (ओं) तथा गिरवीदाता (ओं) एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियम के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **दिनांक 18.01.2025** को नीचे यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर कर्जदार, गारंटीदाता (ओं) तथा गिरवीदाता (ओं) तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा ऊपर उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/गारंटीदाता (ओं)/गिरवीदाता (ओं) का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण	गिरवीदाता
साम्यिक गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति: नगरपालिका सं. 20/22-ए, खसरा नं. 1759, (पुराना) रामबाग, बागपत रोड, शिव हरि मंदिर कॉलोनी के निकट, मेरठ, उप्र-250001 क्षेत्रफल-204.66 वर्ग मीटर। चौहद्दी: पूर्व-76 फीट तदुपरांत राम पाल का प्लॉट नं. 31, पश्चिम-79 फीट तदुपरांत [illegible] चौधरी का मकान, उत्तर-28 फीट 6 इंच तदुपरांत [illegible] प्रॉपर्टी फर्म, दक्षिण-28 फीट तदुपरांत 15 फीट चौड़ी सड़क।	श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन

स्थान: मेरठ, तारीख: 18.01.2025 — अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

एक्सप्रेस झोन, ए विंग, 10वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ओबेरॉय होटल के सामने, गोरेगांव (ई), मुम्बई 400 063

मेसर्स वैष्णवी डॉयमंड्स | **कब्जा सूचना** | संदर्भ सं: APPL00001266

चूंकि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में, जारी मांग सूचना (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में वर्णित, इसके बाद मांग सूचना) वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत मांग सूचना (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में वर्णित) जारी करते हुए उधारकर्ता (ओं) को मांग सूचना में उल्लेखित राशि/राशियों और उस पर संविदा के ब्याज सहित संविदात्मक दर पर ब्याज सहित लागत और प्रभारों और अन्य धनराशि (यदि कोई हो) मांग सूचना की दिनांक से, भुगतान की दिनांक तक और/या एआरजीएफएल द्वारा वसूली तक मांग सूचना (इसके बाद देय राशि) की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया। उधारकर्ता (ओं) और सह-उधारकर्ता (ओं) देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, ये सूचना विशेष रूप से यहां निम्न वर्णित उधारकर्ता और आम जनता को दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप निम्न वर्णित दिनांक पर निम्न वर्णित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों (मांग सूचना में वर्णित) का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और सह-उधारकर्ता (ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के साथ किया गया किसी भी प्रकार का लेन-देन आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड की देय राशि (विशेष रूप से नीचे वर्णित) उस पर भविष्य के ब्याज सहित संविदात्मक दर पर ब्याज सहित लागत और प्रभारों और अन्य धनराशि (यदि कोई हो) मांग सूचना की दिनांक से, भुगतान की दिनांक तक और/या एआरजीएफएल द्वारा वसूली तक प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता (ओं) का नाम पता: मैसर्स वैष्णवी डॉयमंड्स
2656, तीसरा तल, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, अजमल खान रोड, नई दिल्ली-110005

सह-उधारकर्ता (ओं) का नाम पता: 1. श्री कबीर कोहली
20, दूसरा तल, नॉर्थ एक्स, मॉडल टॉउन, जीटीबी नगर, वेस्ट दिल्ली-दिल्ली-110009
2. श्रीमती गीता कोहली, 2656, तीसरा तल, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, अजमल खान रोड, नई दिल्ली-110005
20, दूसरा तल, नॉर्थ एक्स, मॉडल टॉउन, जीटीबी नगर, वेस्ट दिल्ली-दिल्ली-110009

मांग सूचना अनुसार बकाया राशि संग लागू भविष्य का ब्याज:
रू. 41,46,081/- (रुपये इकतालीस लाख छियालीस हजार इक्यासी मात्र)

मांग सूचना की दिनांक: 22 अक्टूबर, 2024	आरओआई	12.75%
	मूल देय	38,60,850
	ईएमआई राशि बकाया	2,05,812
ऋण खाता सं. APPL00001266	ब्रोकन पीरियड ब्याज	8,204
	अति देय ब्याज	20,205
	कानूनी प्रभार	21,670
कब्जे की दिनांक: 15 जनवरी, 2025	सूचना प्रभार	1,100
	ईएमआई उछाल प्रभार	28,240
	कुल बकाया देय	41,46,081

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण: संपत्ति विवरण:- संपत्ति वाह:- प्लॉट नं. 20, (तीसरा तल बिना छत अधिकारों), मॉडल टॉउन/मॉडल टॉउन नॉर्थ एक्स, नई दिल्ली-110009. संपत्ति का सीमांकन: उत्तर: 38 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट सं. 21, पश्चिम: प्लॉट सं. 19 दक्षिण: प्लॉट सं. 25

दिनांक: 15.01.2025 स्थान: दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी (आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड)

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आर.सी. 273/2024 — **दिनांक: 10.01.025**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया — **प्रमाणपत्र धारक**

बनाम

अंचल कुमार एवं अन्य — **प्रमाणपत्र देनदार**

डिमांड नोटिस

सेवा में,

सीडी नं0 1. अंचल कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल, निवासी: मकान नं0 2सी, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001

सीडी नं0 2. श्रीमती सुनिता देवी पुत्री श्री महेन्द्र सिंह, सी/ओ श्री अंचल कुमार, निवासी: मकान नं0 2 सी, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001

सीडी नं0 3. श्रीमती सुशील कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह, निवासी: 2सी/45, गंगापुरम कॉलोनी, हकीकत नगर, सहारनपुर- 247001, उत्तर प्रदेश।

सीडी नं0 4. श्रीमती शिवलेश देवी पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी: मकान नं0 2 सी पंजाबी बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 47001

यह सूचित करना है कि पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पारित ओ.ए. संख्या 165/2024 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के मद्देनजर **रू0 30,77,202.42 (तीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ दो एवं बयालीस पैसे मात्र)** की राशि के साथ लंबित और भावी ब्याज @ 9.60% वार्षिक साधारण ब्याज दिनांक 13.01.2024 से वसूली तक और **रू0 33,005 (तैंतीस हजार पांच रूपये मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग-अलग) बकाया हो गई है।

जबकि यह अधोहस्ताक्षरी की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि साधारण पाठ्यक्रम में आपको नोटिस की सेवा प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए, इस नोटिस को प्रकाशन के माध्यम से दिया गया है जो प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी। आपको आगे कि कार्यवाही के लिए **दिनांक 16.04.2025** को सुबह 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(ए) इस प्रमाण निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।

(बी) इस नोटिस की तामिल तथा देय राशि वसूलने के लिए अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रिया के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

Hero FINCORP

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

CIN: U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

दूरभाष: 011-4948 7150 | **फैक्स:** 011-4948 7197, 011-4948 7198
ई-मेल: litigation@herofincorp.com | **वेबसाइट:** www.herofincorp.com

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल), एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है) के प्रावधानों के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **दिनांक 11.11.2024** को एक **मांग सूचना** जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित:

1. मैसर्स हरनाम सिंह पहलवान इंटरप्राइजेज (कर्जदार), जिसका कार्यालय प्लॉट सं. 350, सेक्टर-7, आईएमटी मनेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122052, और एक पता: डाकघर बढ़ा सिकंदरपुर, नवादा फतेहपुर (112), गुरुग्राम हरियाणा-122004 तथा और एक पता: एच-0404, बेस्टेक पार्क व्यू, संस्कृति, सेक्टर-92, गुड़गांव-122009

2. श्री मनोज कुमार (सह-कर्जदार/गिरवीदाता), निवास स्थल डाकघर बढ़ा सिकंदरपुर, नवादा फतेहपुर (112), गुरुग्राम हरियाणा-122004 तथा और एक पता: एच-0404, बेस्टेक पार्क व्यू, संस्कृति, सेक्टर-92, गुड़गांव-122009

3. सुश्री अंजू (सह-कर्जदार), निवास स्थल डाकघर बढ़ा सिकंदरपुर, नवादा फतेहपुर (112), गुरुग्राम हरियाणा-122004 तथा और एक पता: एच-0404, बेस्टेक पार्क व्यू, संस्कृति, सेक्टर-92, गुड़गांव-122009

को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के अंदर दिनांक 06.11.2024 को बकाया के रूप में सूचना में उल्लिखित रकम **रू. 2,76,01,553.88/- (रुपये दो करोड़ छिहत्तर लाख एक हजार पांच सौ तिरपन एवं पैसे अठ्ठासी मात्र)** के साथ लागू ब्याज एवं अन्य शुल्कों की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा का रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **17 जनवरी, 2025** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 06.11.2024 को बकाया के रूप में **रू. 2,76,01,553.88/- (रुपये दो करोड़ छिहत्तर लाख एक हजार पांच सौ तिरपन एवं पैसे अठ्ठासी मात्र)** के साथ लागू ब्याज एवं अन्य शुल्कों की रकम के लिए एचएफसीएल के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति/प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लिखित है:

खेवट/खाता सं.-17/17 में से, मुस्त सं. 13, किला सं. 23 (8-0), वाका सिवाना मौजा, नवादा, फतेहपुर, तहसील मनेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 1028 वर्ग यार्ड क्षेत्रफल परिमाप की सम्पत्ति।

स्थान : दिल्ली एवं एनसीआर — हस्ता/- अधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 17.01.2025 — हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the public that Mrs. Anindita Pal w/o Mr. Neeladri Basu r/o N-34, Third Floor and Terrace, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019 is unaware of the whereabouts of the following documents related to her property bearing no. N-34, Third Floor and Terrace, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019 - GPA by Mr Paritosh K Dewan and Mrs Sabitri Dewan to Major A.P Arora dated 07/07/97, Agreement to Sell from Mr Paritosh K Dewan & Mrs Sabitri Dewan to Mrs. Poonam Arora dated 07/07/92, Agreement to Sell from Mrs. Poonam Arora to Mrs. Madhu Gangwani dated 10/06/99, GPA by Mr Paritosh K Dewan and Mrs Sabitri Dewan to L K Gangawani dated 10/06/99.

Anyone who finds these documents should please contact her on email
anindita81pal@gmail.com

The public is hereby cautioned not to deal with anyone on this particular property on the basis of the said missing documents.

HDFC BANK
We understand your world

विशेष परिचालन विभाग
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भू तल, सुलेख भवन,
8, कस्तूरबा गांधी मार्ग/[illegible] मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

अधिग्रहण सूचना (सांकेतिक) (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 07-11-2024 निर्गत की थी, जिसमें **उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर मैसर्स मता ऑटोमोबाइल्स इसकी स्वामी / गारंटर / बंधककर्ता एवं मृतक मता के विधिक उत्तराधिकारियों, श्री [illegible] तथा एमएस [illegible] कुमार गर्ग** को मांग सूचना में अंकित राशि, **रु 4,46,17,041.80/- (रुपये चार करोड़ छियालीस लाख सत्रह हजार इकतालीस तथा अस्सी पैसे मात्र) तथा 01.09.2024** से प्रभावी राशि पर निर्धारित ब्याज, राशि पर भावी ब्याज तथा शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता (गण) / गारंटर (गण) / बंधककर्ता (गण) निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) / बंधककर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 20 जनवरी 2025 को गाजीपुर, दिल्ली में अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कालमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। उधारकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को विशेष रूप में तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन, **रु 4,46,17,041.80/- (रुपये चार करोड़ छियालीस लाख सत्रह हजार इकतालीस तथा अस्सी पैसे मात्र) की एक राशि तथा 01.09.2024** से प्रभावी राशि पर निर्धारित ब्याज, राशि पर भावी ब्याज तथा शुल्कों लागतों एवं प्रभारों इत्यादि हेतु एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण की तिथि एवं समय
बी-132 धारक आवासीय संपत्ति [illegible] अपार्टमेंट, गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली- 110096, उस पर किए गए निर्माण के साथ। क्षेत्रफल- 103.64 वर्ग गज।	20.01.2025 समय 11.00 बजे तथा इसके बाद

स्थान : गाजीपुर, दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक : 20/01/2025 — एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

किसी भावी स्पष्टीकरण तथा संचार के लिए कृपया इनसे संपर्क करें-
सुश्री तान्या सारस्वत — संपर्क नं.- 9868710824

Edelweiss
Ideas create, values protect

एडलवाइस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: टॉवर 3, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070, महाराष्ट्र

परिशिष्ट IV कब्जे की सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन एडलवाइस रिटेल फाइनेंस लि. (ईआरएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता को दिनांक 10.09.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन ईआरएफएल, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
(ऋण खाता सं. **LNDPSLE0000094143**) 1. शौर्य इम्पेक्स (उधारकर्ता और आवेदक) 2. रिशु गोयल (सह-उधारकर्ता और सह-आवेदक) 3. पूजा गोयल (सह-उधारकर्ता और सह-आवेदक)	**10.09.2024 और रु 67,65,972.59 (रु. सड़सठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ बहत्तर और पैसे उनसठ) दिनांक 06.09.2024 तक**	सुरक्षित संपत्ति का विवरण फ्रीहोल्ड आवासीय संपूर्ण भूतल, (स्टिल्ट के ऊपर अर्थात ऊपरी ग्राउंड फ्लोर) बिना छत के अधिकार, निर्मित फ्री होल्ड संपत्ति सं. 38, क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी. की भूमि पर निर्मित, ब्लॉक-सी, पॉकेट-5, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085, ¼ स्टिल्ट पार्किंग, कॉमन पैसेज, सीढ़ी और लिफ्ट अधिकारों के साथ, आनुपातिक भूमि अधिकारों के साथ और केवल पानी की टंकी की स्थापना/रखरखाव के लिए छत तक पहुंचने का अधिकार, चौहद्दी: पूर्व में – सड़क 13.5 मी., पश्चिम में – सर्विस लेन, उत्तर में – प्लॉट सं. 39, दक्षिण में – प्लॉट सं. 37 नोट: दिनांक 01.02.2018 के बिक्री विलेख में अधिक सटीक रूप से उल्लेखित उप-पंजीयक-VI, दिल्ली के कार्यालय में, दस्तावेज सं. 1201 के अनुसार, पुस्तक सं. 1, खंड सं. 7716, पृष्ठ सं. 73-80 दिनांक 02.02.2018, एसआरओ-VI में पंजीकृत	17-01-2025

स्थान: दिल्ली — हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 21.01.2025 — कृते एडलवाइस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्पलेक्स, मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे-411035
शाखा कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यूनिट नं. 3ए, तीसरा तल, पावा प्लाजा, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085
प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: नाम परदीप कुमार, ईमेल आईडी: pardeep.kumar28@bajajfinserv.in, **मोबाइल नं. +91 9034740781**

परिशिष्ट-IV-ए [देखें नियम 8(6) का प्रावधान] — सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री नोटिस
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत
अचल संपत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा अधोलिखित प्रत्याभूत परिसंपत्ति जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड **("बीएफएल")** के पास बंधक है, और जिसका अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीएफएल के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत द्वारा कब्जा लिया गया है, नीचे उल्लिखित राशि और आगे की लागू ब्याज, प्रभारों, और लागतों आदि की वसूली के लिए नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी। नीचे वर्णित प्रत्याभूत परिसंपत्ति नीचे विवरणित देयों की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली **("नियमावली")** के नियम 8 व 9 के तहत **"जो है, जहाँ है और जहाँ है, जैसी भी है"** आधार पर बिक्री की जा रही है।

ई-नीलामी का विवरण

कर्जदार का नाम और पता	**पंडित मेडिकल हॉल:** एच8 दीप कॉम्पलेक्स शर्मा मार्केट सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 **मधु भारद्वाज:** III डी/15, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 **परदीप शर्मा:** सीडी 14 कवि नगर, ब्लॉक सी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 **नरेन्दर कुमार शर्मा:** III डी डी/15, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	**रोहित कुमार गुप्ता** **प्रदीप कुमार गुप्ता** **निर्मला गुप्ता** पता: प्लॉट नं. 61, दूसरा व तीसरा तल, ब्लॉक डी, पॉकेट 1, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली-110085
ऋण खाता संख्या	401LAP28157753	4010HL48913619, 4010HL48913909 & 4010HL48914248
धारा 13(2) के तहत सांविधिक मांग नोटिस की तारीख व राशि	नोटिस दिनांकित 22.11.2021 मांग राशि रु. 83,38,365/-	नोटिस दिनांकित 03.03.2023 मांग राशि रु. 67,44,205/-
बकाया राशि दिनांक 16.01.2025 को	रु. 65,38,427/- (रुपये पैंसठ लाख अड़तीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र)	रु. 87,66,405/- (रुपये सतासी लाख छियासठ हजार चार सौ पाँच मात्र)
अचल संपत्ति का विवरण	फ्लैट नं. एस1 प्लॉट नं. 3डी 15, दूसरा तल (फ्रंट) नेहरू नगर 3, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201010	रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, रोहिणी दिल्ली स्थित सेक्टर 16 ब्लॉक डी पॉकेट 1 में फ्रीहोल्ड बिल्ट अप संपत्ति नं. 16 का समस्त दूसरा और तीसरा तल आसमान तक अधिकार सहित, माप एरिया 48 वर्ग मीटर प्रत्येक तल। सीमाएँ- पूर्व प्लॉट नं. 60, पश्चिम: प्लॉट नं. 62, उत्तर सर्विस लेन, दक्षिण 9 मीटर रोड
आरक्षित मूल्य भारतीय रुपयों में	रु. 55,40,400/-	रु. 73,23,000/-
ईएमडी	रु. 5,54,040/-	रु. 7,32,300/-
ई-नीलामी की तिथि व समय	20.02.2025 समय पूर्वा. 11:00 से अप. 1:00 तक	20.02.2025 समय पूर्वा. 11:00 से अप. 1:00 तक
ई-नीलामी पोर्टल	https://bankauctions.in	https://bankauctions.in
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2025	19.02.2025
बोली वृद्धि राशि रु. में	रु. 25,000/-	रु. 50,000/-
संपत्ति निरीक्षण की तारीख	20.01.2025 से 15.02.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वा. 9.30 से अप. 5 तक पूर्व समयादेश लेकर	20.01.2025 से 15.02.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वा. 9.30 से अप. 5 तक पूर्व समयादेश लेकर

सर्व साधारण सामान्य रूप से और कर्जदार विशेष रूप से कृपया ध्यान दें कि किसी भी कारण से यहां निर्धारित तिथि पर नीलामी असफल होने के मामले में, प्रत्याभूत लेनदार अपने स्वयं के विवेक से निजी ट्रीटी के माध्यम से बिक्री द्वारा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन कर सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक https://bankauctions.in और https://www.bajajfinserv.in/sarfaesi-auction-notices देखें।

दिनांक: 17.01.2025 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली — बजाज फाइनेंस लिमिटेड

---

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

प्रथम तल, यूनिट नंबर 103, पी.पी. ट्रेड सेंटर, प्लॉट नंबर 1, नेताजी सुभाष प्लेस,
पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट") के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 (1) के परंतुक के तहत अचल आस्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (प्रत्याभूत लेनदार/केएमबीएल) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **सांकेतिक कब्जा** केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 31-05-2024 को लिया जा चुका है, **टॉरस इंटरनैशनल (प्रोजेक्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड** एवं अन्य तथा इसके गारंटरों द्वारा केएमबीएल को **21-03-2024** तक देय बकाया राशि **रू. 22,78,65,725.63/- (रुपए बाईस करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार सात सौ पच्चीस तथा पैसे तिरेसठ मात्र) + 22-03-2024** से वसूली तक संविदात्मक दर पर भावी ब्याज और सभी अनुषंगी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों की वसूली के लिए **दिनांक 07-02-2025 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी।

सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा का विवरण, सम्पत्ति विवरण तथा नीलामी की तिथि नीचे वर्णित है।

क्र सं	सम्पत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी	ऋणभार
1.	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** टॉरस [illegible] जी+2, फ्लोर [illegible], प्लॉट नंबर 673, [illegible] : 875/2, गैर कृषि भूमि परिमाप 3,100.00 वर्ग गज, खसरा नंबर 875/2 का भाग, के-2 ब्लॉक, [illegible] महिपालपुर एक्सटेंशन, पार्ट-II, ग्राम महिपालपुर, नई दिल्ली, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों तथा स्ट्रक्चर्स तथा खड़े किए/निर्मित किए जाने वाले भवनों तथा स्ट्रक्चर्स और उनकी समृद्धियों सहित तथा जमीन के साथ जुड़े या जमीन के साथ स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी [illegible] और प्लांट एवं मशीनरी, वर्तमान और भावी दोनों। चौहद्दी :- पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : 18 फीट रोड, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति **बंधकदाता का नाम : श्री कंवलजीत सिंह कोछड़ उर्फ श्री कंवलजीत कोछड़/श्री कंवलजीत सिंह**	रू. 60,67,00,000/-	रू. 6,06,70,000/-	ज्ञात नहीं

ईएमडी जमा करने और बोली दस्तावेज अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि :	06-02-2025 अप. 04.00 बजे तक https://kotakbank.auctiontiger.net पर
ई-नीलामी की तिथि और समय :	07-02-2025 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट की अवधि में कोई बोली आने पर नीलामी समाप्ति का समय हर बार 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
बोली वृद्धि राशि :	रू. 10,00,000/- (रुपए दस लाख मात्र) अथवा उसकी गुणकों में

सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, कोटक बैंक को नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य ऋणभार अथवा सांविधिक बकाया, सम्पत्ति कर, भू राजस्व अथवा किसी अन्य अन्य देयता की कोई जानकारी नहीं है। सभी सांविधिक बकाया जैसे कि सम्पत्ति कर, भू राजस्व बकाया, [illegible] का प्रभारों/बकाया, बिजली बकाया इत्यादि का अभिनिश्चयन और भुगतान बोलीदाताओं/संभावित खरीदार(रों) द्वारा किया जाएगा।

[illegible] में बाबत सम्पत्ति अधिभोक्ता (tenants) के कब्जे में है और उसकी नीलामी **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर की जाएगी।

प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में यहां ऊपर विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी तथा उपलब्ध रेकार्डों के अनुसार वर्णित किए गए हैं, जो, तथापि, उक्त विवरणों में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री के नियम एवं शर्तें वेबसाइट/पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net अथवा https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर उपलब्ध हैं। 2. नीलामी का संचालन वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान" द्वारा दिनांक **07-02-2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक** हर बार 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ किया जाएगा। **नीलामी हेतु प्रस्तुत सम्पत्ति सांकेतिक कब्जे में है। 3. मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – ऑक्शन टाइगर बी-704, वॉल स्ट्रीट – II, ओरियंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेलीफोन नंबर राम शर्मा – 8000023297 तथा ई-मेल आईडी :** ramprasad@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net 4. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण के लिए कोटक बैंक की वेबसाइट https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखें। 5. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए बोलीदाताओं को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है तथा उक्त नियम एवं शर्तें बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगी। इसके अतिरिक्त, बोली पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर **06-02-2025** को अथवा पूर्व भरी और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी है और उसकी प्रति ई-मेल द्वारा singh.prabhjot@kotak.com तथा ashwin.sharma@kotak.com को भेजनी होगी। 6. संभावित बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से उपरोक्त सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के जरिये **खाता नंबर 8411307138, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड खाता ई-नीलामी, नरीमन (ईस्ट) शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000646 में 06-02-2025 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक** अर्पित करनी होगी। ईएमडी राशि के बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः अस्वीकार्य होगी। सफलकाम बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 8. प्रस्तुत किया गया बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए तथा बोली प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली **रू. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र)** के गुणकों में बढ़ा सकेंगे। 9. सफलकाम बोलीदाता को तत्काल बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (पहले जमा की जा चुकी ईएमडी सहित) नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने पर तत्काल अथवा नीलामी के दिन कार्य समय समाप्त हो चुके होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस का उसी प्रकार से क्रम में अनुबद्ध विधि में जमा करनी होगी। ऐसे सफलकाम बोलीदाता को शेष **75 प्रतिशत** राशि, बिक्री की मंजूरी/पुष्टि की सूचना दिए जाने की तिथि से **15 दिन** के भीतर जमा करनी होगी। 10. बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि उपरिनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा बिक्री प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और तदुपरांत प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 11. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए कोई भी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री स्थगित/निरस्त करने/नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार है। 12. सफलकाम बोलीदाता/क्रेता के नाम में हस्तांतरण के अंतरण हेतु देय सभी प्रभार/फीसें, जिनमें पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी, कर इत्यादि शामिल हैं, सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 13. कोटक बैंक द्वारा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि सात कार्यदिवस के भीतर वापस की जाएगी। 14. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-आ के अनुसार कुल बिक्री प्रतिफल पर लागू दर पर कर अदा करना होगा तथा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नीलामी हेतु रखी गई सम्पत्ति के स्वामी और बंधककर्ता के पक्ष में टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 9 (1) के तहत कानूनी नोटिस

उक्त कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरिनिर्दिष्ट बकाया राशि का पूर्ण भुगतान अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी खर्चों सहित नीलामी की तिथि से पहले कर दें। ऐसा करने में विफल होने पर सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जाएगी/उनका विक्रय कर दिया जाएगा तथा शेष बकाया देयराशि, यदि कोई हुई तो, उनसे वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी तथा यह सूचना उपरिनिर्दिष्ट कर्जदार/गारंटर तथा बंधककर्ता को बिक्री का नोटिस भी माना जाएगा।

सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य विवरण के लिए कृपया अश्विन शर्मा-8655762148/श्री प्रभजोत सिंह – 8800023953 से सम्पर्क करें।

यह सूचना कर्जदार/गारंटरों के लिए नोटिस भी है कि यदि पूर्ण बकाया राशि का भुगतान ई-नीलामी की तिथि से पहले नहीं किया जाता है, तो नीलामी कार्यवाही की जाएगी।

यह नोट करें कि अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित सूचनाओं में किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी की विषय-वस्तु मान्य होगी।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 21-01-2025 — वास्ते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, दूसरा तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय: दूसरा तल, एन.के. टॉवर, 58 सुभाष रोड, मिलन डायग्नोस्टिक्स के सामने, देहरादून-248001
ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

एएलएम- परमोद चंद, मो.नं.- 9990338759 — **सीएलएम-** अभिषेक राणा, मो.नं. 8755056111
आरआरएम- पवन कुमार पांडे, मो.नं. 8010562718

भौतिक कब्जा नोटिस

जबकि **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नं. 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों पर कर्जदार (यहां आगे कर्जदार और जमानतियों को सामूहिक रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने का आव्हान किया गया।

कर्जदारों द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन राशि और उस राशि पर अनुबंधित दर से भावी ब्याज के साथ-साथ उस पर होने वाले आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के लिए **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदारों / जमानतियों के नाम	मांग नोटिस की तारीख कब्जे की तारीख	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण
1.	DL/RUK/ROKE/A000000187 **श्री मेहराज खान, श्रीमती रौशनी मेहराज खान,** **पता:** मकान नं. 206, मांडेरा मिलाप नगर, रुड़की, उत्तराखंड-247668	06.05.2024 15.01.2025 भौतिक	रु. 15,92,966/- दि. 06.04.2024 को और इस पर ब्याज	गाँव ब्रह्मपुर परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार स्थित प्लॉट जमीन पर निर्मित एक मकान, माप पूर्व: 21 फुट 6 इंच, पश्चिम 21 फुट 6 इंच, उत्तर 36 फुट और दक्षिण 36 फुट, कुल एरिया 774 वर्ग फुट या 71.93 वर्ग मीटर, खसरा नं. 240एमआई का भाग। सीमाएँ: पूर्व: रास्ता 18 फुट चौड़ा, पश्चिम: रास्ता 18 फुट चौड़ा, उत्तर: श्रीमती रेखा और ममता आदि का मकान, दक्षिण अज्ञात का प्लॉट

दिनांक: 21.01.2025, स्थान: उत्तराखंड — **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**

ROHA HOUSING FINANCE
GROW WITH YOUR OWN HOME

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : यूनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

आधिपत्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड ("RHFPL" के रूप मे संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : अजेटी हाउस, ए44/45, रोड नं.2, एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई -400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

चूंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अतः नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **सांकेतिक आधिपत्य** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

ऋणीयों / सह-ऋणीयों के नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग पत्र की दिनांक एवं बकाया राशि	आधिपत्य की दिनांक
लेन : HLJANASCPR000005008991/ **शाखा: जनकपुरी** **1. सलीम पिता अलीशेर 2. कलसुन पति सलीम** **पता 1:** खसरा नं.108, मेलक्ष्मी इंडस्ट्रियल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201102 **पता 2:** फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 14 एवं 15, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 452 से बाहर पूर्वी संगम विहार, ग्राम बहता हाजीपुर, परगना लोनी, गोल्डी पब्लिक स्कूल के पास, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	सम्पत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 14 एवं 15, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 452 से बाहर, पूर्वी संगम विहार, ग्राम बहता हाजीपुर, परगना लोनी, गोल्डी पब्लिक स्कूल के पास तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	**26-09-2024 एवं ₹ 11,55,016/-**	**17-01-2025**

स्थान : उत्तर प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 21-01-2025 — **तर्फे – रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड**

ASIAN HOTELS

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालय: भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066
फोन: +91 11 66771225-26; **फैक्स:** +91 11 26791033
ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com; **वेबसाइट:** www.asianhotelsnorth.com

सदस्यों को सूचना – डाक मतपत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के विनियम 20 एवं 22, यथा समय यथा संशोधित, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के द्वारा आम बैठकों पर जारी प्रासंगिक सचिवीय मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 एवं 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 क्रमशः, एवं इस सम्बन्ध में जारी अनुवर्ती परिपत्रों, नवीनतम 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024, के माध्यम से (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथा समय यथा संशोधित, के विनियम 44 एवं अन्य लागू विनियमों ("सूचीबद्धता विनियम") तथा किसी भी अन्य लागू कानून के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने दिनांकित 15 जनवरी, 2025 के डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से मात्र रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित संकल्पों हेतु सदस्यों का अनुमोदन मांगा है:

- **"प्रमोटर/प्रमोटर समूह" श्रेणी से "सार्वजनिक" श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण हेतु साधारण प्रस्ताव।**

कम्पनी ने 20 जनवरी, 2025 को उन सभी सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण सहित डाक मतपत्र सूचना प्रेषित करने का काम पूरा कर लिया है जिनके नाम डिपॉजिटरियों अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा, **शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 (कट-ऑफ तिथि)** को व्यावसायिक कार्य-काल के समापन अनुसार, प्रस्तुत सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में प्रदर्शित हो। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूचना उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा गया है जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। डाक मतपत्र सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** पर; तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **https://www.nseindia.com/** एवं बीएसई लिमिटेड **https://www.bseindia.com/** पर तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com/showallevents.aspx** पर भी प्रदर्शित है।

कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से डाक मतपत्र की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसाय पर मात्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीए परिपत्रों के शर्तानुसार डाक मतपत्र प्रपत्र भेजकर वोटिंग करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

अधिनियम, नियमों, एमसीए परिपत्रों एवं सूचीबद्धता विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान की है। **ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 21 जनवरी, 2025 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी** तथा **बुधवार, 19 फरवरी, 2025 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।** उसके उपरान्त मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि, अर्थात् शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसे डाक मतपत्र सूचना को मात्र जानकारी के तौर पर व्यवहृत करना चाहिए।

वे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

(क) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण, आवासीय स्थिति इत्यादि सहित मेलिंग पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म ISR-1 एवं सेबी मास्टर परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांकित 7 मई, 2024 (यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सूचित करें। उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट **https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html** से डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आरटीए की वेबसाइट **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx** पर भी उपलब्ध है।

(ख) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित करते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

(ग) उचित सत्यापन के पश्चात्, कम्पनी/आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।

(घ) अपना वोट डालने हेतु डाक मतपत्र सूचना के नोट संख्या 11 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(ङ) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि:

क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त आरटीए द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात्, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; **ख)** जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हो, मात्र वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होगा, डाक मतपत्र सूचना में स्पष्ट रूप से ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** के सहायता एवं एफएक्यूज अनुभाग देखें या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टेलीफोन नम्बर 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें। सदस्य केफिन के कार्यालय में नामित अधिकारी: श्री डी. सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना, टेलीफोन नम्बर +91 40 6716 2222; टोल फ्री नम्बर: 1800-309-4001; फैक्स नम्बर +91 40 2300 1153; ईमेल: **evoting@kfintech.com** से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग सुविधा लिंक: **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध है। डाक मतपत्र सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके प्रदर्शित है, जिसे लिंक **https://evoting.kfintech.com** अथवा **www.asianhotelsnorth.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-वोट, का एक बार प्रयोग करने के पश्चात्, परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302) को या उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), को या उनके विफल होने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार, (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682), मेसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, को संपूर्ण डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में **शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025** को या उससे पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी एवं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संबंधित वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा।

कृते एवं की ओर से
एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड
हस्ता/-
तरुण श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: एसीएस 53209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 जनवरी, 2025